न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—156 / 2023

प्रार्थी:—

वरदाराम पुत्र दूदाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम लूदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. गटाराम पुत्र राणाराम उर्फ राजाराम जाति मेघवंशी
3. मंगला पुत्र दूदा जाति मेघवंशी
4. इन्द्रकीदेवी पुत्री मोटाराम जाति मेघवंशी
5. ओटीदेवी पत्नी तगाराम जाति मेघवंशी
6. काना पुत्र सोना जाति मेघवंशी
7. गोमाराम पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी
8. घेवरराम पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी
9. चम्पालाल पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी
10. पुरखा पुत्र सोना जाति मेघवंशी
11. पांचीदेवी पत्नी मगनाराम जाति मेघवंशी
12. रूपाराम पुत्र मगनाराम जाति मेघवंशी
13. लिखमाराम पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी
14. वजाराम पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी
15. हंसाराम पुत्र तगाराम जाति मेघवंशी

    सभी निवासीयान लूदराडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
16. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा मोकसलर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री लादाराम अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 69 ग्राम लूदराडा ,खाता संख्या 169 ग्राम अर्जियाणा व खाता संख्या 28 ग्राम नया लूदराडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी व जनआधार कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम "वरदा राम पुत्र दूदा राम" दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में ग्राम लूदराडा के खाता संख्या 69 में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " विरधा पुत्र दूदा" ग्राम अर्जियाणा के खाता संख्या 169 में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " विरदाराम पुत्र दूदाराम" व ग्राम नया लूदराडा के खाता संख्या 28 में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " विरधा पुत्र दूदा" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगणो के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1387 दिनांक 13.08.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम, के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में परिवार राशनकार्ड,जनआधार कार्ड व ,बैंक पासबुक की नकल आदि प्रस्तुत किया ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''वरदा राम पुत्र दूदा राम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि तहसील सिवाना के ग्राम लूदराडा के खाता संख्या 69 में प्रार्थी का नाम '' विरधा पुत्र दूदा'' व ग्राम अर्जियाणा के खाता संख्या 169 में ''विरदाराम पुत्र दूदाराम'' व ग्राम नया लूदराडा के खाता संख्या 28 में ''विरधा पुत्र दूदा'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के,जनआधार कार्ड,आधारकार्ड व बैंक पासबुक, में प्रार्थी का नाम ''वरदा राम पुत्र दूदा राम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''विरधा पुत्र दूदा'' ,'' विरदाराम पुत्र दूदाराम '' व '' विरधा पुत्र दूदा'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''वरदा राम पुत्र दूदा राम '' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लूदराडा तहसील सिवाना के खाता संख्या 69, ग्राम अर्जियाणा के खाता संख्या 169 तथा ग्राम नया लूदराडा तहसील सिवाना के खाता संख्या 28 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''विरधा पुत्र दूदा'' विरदाराम पुत्र दूदाराम'' व ''विरधा पुत्र दूदा'' के स्थान पर ''वरदा राम पुत्र दूदा राम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक ऋण इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested